अनौपचारिक रूप से परामर्शित

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या – आ0प्र0विविध–01/2011 ..../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–

राज्यादेश

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार, पटना

द्वारा : वित्त विभाग

विषय : **बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2015–30 (Bihar DRR Roadmap, 2015-30) की सैद्धांतिक स्वीकृति ।**

आदेश : स्वीकृत ।

(1) **प्रस्तावना :–** तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन सेंडई, जापान में 14–18 मार्च 2015 तक आयोजित किया गया, जिसमें 190 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में वर्ष 2015 से वर्ष 2030 तक के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु 4 प्राथमिकताएँ एवं 7 लक्ष्य निर्धारित किये गये, जो निम्नवत् हैं :–

प्राथमिकताएँ :–

(i) आपदा जोखिम की समझ विकसित करना;

(ii) आपदा जोखिम के प्रबंधन हेतु संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण;

(iii) आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश;

(iv) प्रभावी रिस्पॉन्स के लिए पूर्व तैयारियों को प्रोत्साहन तथा ''पूर्व से बेहतर'' पुनर्वासन, पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण।

लक्ष्य :–

(i) वर्ष 2030 तक वैश्विक आपदा मृत्यु दर में लगातार कमी लाना।

(ii) वर्ष 2030 तक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में कमी लाना।

(iii) वैश्विक समग्र घरेलू उत्पाद की तुलना में आपदाओं से होनेवाले आर्थिक क्षति को वर्ष 2030 तक कम करना।

(iv) आधारभूत संरचनाओं एवं सुविधाओं की क्षति को कम करना तथा उनमें लचीलापन का विकास करना।

(v) राष्ट्रीय एवं स्थानीय आपदा न्यूनीकरण रणनीति से युक्त देशों की संख्या में वृद्धि।

(vi) विकसित देशों को आपदा न्यूनीकरण के कार्यक्रमों में पर्याप्त एवं सतत् सहायता हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

(vii) पूर्व चेतावनी तंत्र, आपदा जोखिम सूचनाओं एवं जोखिम मूल्यांकन की उपलब्धता तथा उन तक आम लोगों की पहुँच बढ़ाना।

सेंडई में हुए विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन से प्राप्त अनुभव एवं माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से बिहार राज्य के बहु आपदा प्रवण होने के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2015–30 का सूत्रण किया जाय। तदनुसार सरकार के विभिन्न विभागों, आपदा न्यूनीकरण के साझेदारों (Stakeholders) विशेषज्ञों एवं नैसर्गिक समाज के साथ मिलकर, मई, 2015 में प्रथम बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। विभिन्न विषय आधारित सत्रों (Thematic Sessions) एवं बहुहितभागी परिचर्चा (Multi Stakeholders deliberations) के आधार पर, इस सम्मेलन के समापन सत्र में सुरक्षित बिहार बनाने के दृष्टिकोण से, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण ढाँचा (Bihar Disaster Risk Reduction Framework) को Patna Declaration - 2015 के माध्यम से अंगीकार किया गया एवं तदनुसार बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2015–30 के सूत्रण हेतु विभाग एवं सहभागी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक प्रारूप समिति (Drafting Committee) गठित की गयी। Drafting Committee के द्वारा तैयार किये गये प्रथम प्रारूप को विभिन्न जिलों, विभागों एवं विशेषज्ञों को उपलब्ध कराते हुए, उनसे सुझाव एवं मंतव्य प्राप्त किये गये। इन सुझावों एवं मंतव्यों पर विचार कर रोडमैप का द्वितीय प्रारूप तैयार किया गया। माह जनवरी, 2016 में DRR Roadmap प्रारूप के मुख्य अध्यायों की समीक्षा एवं DRR Roadmap को अंतिम स्वरूप देने के उद्देश्य से प्रारूप को विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक कार्यशाला (Validation Workshop) का आयोजन किया गया।

(2) Validation Workshop में प्राप्त सुझावों एवं विशेषज्ञों के मंतव्य पर गहन विचार मंथन कर DRR Roadmap का पुनरीक्षित प्रारूप तैयार किया गया जिसे सभी सम्बन्धित विभागों के समक्ष मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहुत बैठक में प्रस्तुत किया गया । विभागों से प्राप्त सुझावों/मंतव्यों के आलोक में "बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2015–30" का अंतिम प्रारूप तैयार किया गया जिस पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 28.04.2016 को हुई बैठक में मद सं0 1 के अंतर्गत राज्य सरकार कर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी। DRR Roadmap अनुलग्नक – 1 पर संलग्न है।

(3) बिहार आपदा जोखिम–न्यूनीकरण रोडमैप, 2015–30 की मुख्य बातें :–

- रोडमैप के अंतर्गत 2015–30 तक के लिए निम्नांकित 4 लक्ष्य रखे गये है :–

(i) वर्ष 2030 तक प्राकृतिक आपदाओं से मानव क्षति को मूलाधार (Base Line) आँकड़ों की तुलना में 75 प्रतिशत कम करना।

(ii) वर्ष 2030 तक परिवहन सम्बन्धी आपदाओं (सड़क, रेल एवं नाव दुर्घटना) में मूलाधार आँकड़ों (Base Line) की तुलना में पर्याप्त (Substantial) कमी करना।

(iii) वर्ष 2030 तक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में मूलाधार आँकड़ों की तुलना में 50 प्रतिशत की कमी करना, एवं

(iv) वर्ष 2030 तक बिहार राज्य में आपदाओं से होनेवाली क्षति में मूलाधार आँकड़ों की तुलना में 50 प्रतिशत की कमी।

- Roadmap को 9 (नौ) अध्यायों में बाँटा गया है। वर्ष 2020, 2025 एवं 2030 इस Roadmap के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वर्ष 2020 तक अल्पकालीन, वर्ष 2025 तक मध्यमकालीन तथा वर्ष 2030 तक के लिए दीर्घकालीन क्रियाकलापों को रोडमैप में शामिल किया गया है। इन क्रियाकलापों को 5 (पाँच) अवयवों में विभक्त किया गया है, यथा–सुरक्षित ग्राम (Resilient Village), सुरक्षित शहर (Resilient City), सुरक्षित आजीविका (Resilient Livlihood), सुरक्षित बुनियादी सेवाएँ (Resilient basic Services) एवं सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएँ (Resilient Critical infrastructure)
- सुरक्षित ग्राम से तात्पर्य है, ग्रामिणों में लोचपूर्ण सुरक्षित संव्यवहार एवं आदतों (Resilient and safe behaviour) का विकास, आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणा को गाँव की योजनाओं में शामिल किया जाना, गाँवों में सामुदायिक संस्थाओं का क्षमतावर्द्धन तथा उनके माध्यम से ग्रामीणों में आपदा जोखिम का विश्लेषण, संचार योजना की जानकारी एवं उसके उपयोग की समझ विकसित करना, पूर्व चेतावनी एवं आपातकालीन सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करना तथा इन क्रियाकलापों के माध्यम से ग्रामीणों में छोटी आपदाओं (L_1 स्तर की) से ग्राम स्तर पर निपटने की क्षमता विकसित करना।
- सुरक्षित शहर (Resilient City) से तात्पर्य है, शहरवासियों में लोचपूर्ण सुरक्षित संव्यवहार एवं आदतों (Resilient and safe behaviour) का विकास, आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणा को शहर की योजनाओं में शामिल किया जाना, शहरी सामुदायिक संस्थाओं का क्षमतावर्द्धन तथा उनके माध्यम से नगर समाज में आपदा जोखिम का विश्लेषण, संचार योजना की जानकारी एवं उसके उपयोग की समझ विकसित करना, पूर्व चेतावनी एवं आपातकालीन सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करना तथा इन क्रियाकलापों के माध्यम से शहरवासियों में छोटी आपदाओं (L_1 स्तर की) से शहर स्तर पर निपटने की क्षमता विकसित करना।
- सुरक्षित बुनियादी सेवाएँ (Resilient Basic Services) से तात्पर्य है– स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता आदि से सम्बन्धित सेवाओं को आपदा प्रतिरोधक (Disaster Resistant) बेहतर बनाना एवं आपदाओं के समय इन सेवाओं को अनवरत जारी रखने के ससमय उपाय करना। इसके लिए आपदा जोखिमों की पहचान कर संबंधित विभागों, का क्षमता विकास/निर्माण एवं लोचपूर्ण (Flexible) तथा आपदा प्रतिरोधक योजनाओं को तैयार किया जाना।

- इसी प्रकार सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचना (Resilient Critical Infrastructure) से तात्पर्य सड़क, पुल, पुलिया, विद्युत संरचना, तटबंध, दूरसंचार, परिवहन प्रणाली, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ आदि महत्वपूर्ण सेवाओं को आपदा प्रतिरोधी बनाने एवं आपदाओं के समय में, इन्हें अनवरत चालू रखने से है।
- इसके अतिरिक्त उन नीतियों एवं वैधानिक प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्रियाकलापों को सही ढ़ंग से प्रतिपादित करने में सहायक होंगे।
- इस Roadmap के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक ढ़ाँचा, कर्मियों की व्यवस्था एवं विशेष रूप से आपदा प्रबंधन विभाग में Roadmap Implementation Support Unit (RISU) की स्थापना का उल्लेख किया गया है।
- Roadmap के क्रियान्चयन के क्रम में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था का उल्लेख भी, एक अध्याय में किया गया है।

(4) **विभिन्न विभागों / ऐजेंसियों द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलाप** :– Roadmap में विभिन्न विभागों / एजेंसियों द्वारा वर्ष 2015–30 तक किये जाने वाले क्रियाकलापों की विवरणी अंकित है। क्रियाकलापों के निर्धारण में ध्यान रखा गया है कि क्रियाकलाप विशेष के संदर्भ में कोई विभाग/एजेन्सी नोडल होगी तथा कतिपय विभाग/एजेन्सी उसकी सहायता करेंगे।

(5) **अनुश्रवण की व्यवस्था** :– रोडमैप के क्रियान्वयन के सतत् अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की भी व्यवस्था रखी गयी है। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आहूत BSDMA की वार्षिक बैठक में साल में एक बार एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित आपातकालीन प्रबंधन समूह/राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा क्रियान्वयन का छमाही अनुश्रवण किया जायेगा। इसी प्रकार राज्य टॉस्क फोर्स, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग की अध्यक्षता में गठित करने का प्रावधान किया गया है जो सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेगा एवं क्रियान्वयन का हिसाब, प्रत्येक तिमाही में प्राप्त करेगा। सभी विभागों के प्रधान सचिव अपने–अपने विभागों के अधीन संचालित क्रियाकलापों की द्विमासिक समीक्षा करेंगे। इसी प्रकार प्रमंडल से लेकर प्रखण्ड स्तर तक अनुश्रवण की व्यवस्था रखी गयी है।

(6) **नीतिगत एवं वैधिक हस्तक्षेप** :– DRR Roadmap का क्रियान्वयन 2015 से 2030 अर्थात् 15 वर्षों में किया जाना है। वर्तमान में गठित अधिनियमों/नीतियों/नियमावलियों में कालक्रम में संशोधन की आवश्यकता होगी। इनमें प्रमुख रूप से पंचायती राज अधिनियम, बिहार नगरपालिका अधिनियम, विभिन्न आपदाओं से सम्बन्धित मानक संचालन प्रक्रियाओं में संशोधन, बदलते परिदृश्य में मार्गदर्शिकाओं का निर्गत किया जाना आदि शामिल होंगे। इसी प्रकार नई नीतियों, मार्गदर्शिकाओं, संसाधनों के संवितरण, नये सहाय्य मानदर एवं भूकंप, चक्रवाती तुफान, भीड़ प्रबंधन, आपदाओं में बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, वृद्धों एवं असहायजनों की

सुरक्षा, पालतू जानवरों एवं मवेशियों की सुरक्षा, मलबों आदि की सफाई से सम्बन्धित मार्गदर्शिकाओं आदि को निर्गत करने की आवश्यकता होगी। इसका उल्लेख इस Roadmap में किया गया है।

(7) **बजटीय प्रावधान** :– रोडमैप के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिए राशि की आवश्यकता के अनुरूप प्रावधान सम्बन्धित विभाग के द्वारा अपने बजट में यथा समय किया जायेगा। आपदाओं के आकस्मिक प्रकृति के मद्देनजर विभिन्न क्रियाकलापों के लिए राशि की आवश्यकता का आकलन वर्त्तमान में किया जाना संभव नहीं है। परन्तु क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण के क्रियाकलापों के लिए राशि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक– आ0प्र0विविध–01/2011 1867/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 10/5/16.

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारियों /सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

10/5

प्रधान सचिव

\\Pc3-pc\2016\DRR Road Map-2016\Sanlekh 2016\Rajya Desh For DRR Roadmap.doc